

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कक्ष सं0-2, प्रयागराज
सिविल अपील सं0-77/22
शिवशंकर बनाम सुरेश

दिनांक-16.5.24

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत सिविल अपील वर्ष 2022 से लम्बित है और दि0-3.7.23 के उपरान्त अपीलार्थीगण की ओर से अपील में बल दिये जाने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को अपना वाद चलाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत दीवानी अपील बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दीवानी अपील अपीलार्थीगण द्वारा बल न दिये जाने कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु कुमार मिश्रा)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.

कक्ष सं0-2, प्रयागराज।

J.O.Code UP-03842